Form No:1635

Office of the District Basic Education Officer

SULTANPUR

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **KESH NARAYAN SINGH VIDYA MANDIR,BAHMARPUR BUDHAPUR LAMBHUA SULTANPUR** is provisionally recognized for Upper Primary(class 6 to 8).The Recognition number alloted to KESH NARAYAN SINGH VIDYA MANDIR is **SUL09498224837.** The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	Valid From:16-09-2023To:16-09-2024(DD/MM/YYYY) -
3. Recognition Type	New
4.School Type	Upper Primary School(6 to 8)
5.Recognition No.	SUL09498224837

DATE:- 16-09-2023

PLACE:- SULTANPUR

District Basic Education Officer

Digitally signed by Deepika Chaturvedi
Date: 2023.09.16 11:19:49
Reason: For Digital Signature
Location: SULTANPUR

PRINCIPAL
Kesh Narayan Singh Vidhya Mandir
Add: 288, Behmarpur Budhapur,0,
Sultanpur Tehsil Lambhua

Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.prernaup.in

Signed using www.Signer.Digital WebLib

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 741114

<u>किशुना नारायण सेवा न्यास का संविधान व नियमावली</u>

1.	न्यास का नाम	: किशुना नारायण सेवा न्यास
2.	न्यास का पंजीकृत पता	: 64/3/7 सुकृति विहार, ड्रमण्ड रोड, प्रयागराज अन्य संस्थानों पर समय–समय पर जैसा संस्थापक न्यासी निर्णय लें।
2.	(क) न्यास का प्रशासनिक कार्यालय	: 64/3/7 सुकृति विहार, ड्रमण्ड रोड, प्रयागराज।
3.	न्यास के कार्यक्षेत्र	: सम्पूर्ण भारत वर्ष
4.	न्यास के उद्देश्य	: न्यास के उद्देश्य पूर्व में उल्लिखित घोषणा दस्तावेज के अनुसार कम सं0 1 से 29 के अनुसार होंगे।

PRINCIPAL
Kesh Narayan Singh Vidhya Mandir
Add: 288, Behmarpur Budhapur,0,
Sultanpur Tehsil Lambhua

432
2020

432
2020

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर प्रथम प्रयागराज क्रम संख्या 2020018022162

आवेदन संख्या : 202000890020601

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनाँक 2020-12-11 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम डॉ० सत्यवती सिंह

लेख का प्रकार न्यास पत्र

प्रतिफल की धनराशि 100000 / 0.00

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क 1000

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क 100

3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 . मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5 कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 . यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 1100

शुल्क वसूल करने का दिनाँक 2020-12-11 00:00:00

दिनांक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2020-12-11 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक
सदर प्रथम, प्रयागराज

भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर प्रथम प्रयागराज क्रम 2020018022162

आवेदन संख्या 202000890020601

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनाँक 2020-12-11 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम डॉ० सत्यवती सिंह

लेख का प्रकार न्यास पत्र

प्रतिफल की धनराशि 100000 / 0.00

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क 1000

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क 100

3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 . मुख्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5 . कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 1100

शुल्क वसूल करने का दिनाँक 2020-12-11 00:00:00

उप निबन्धक
सदर प्रथम, प्रयागराज

भाग 1

भाग 1 की प्रतिलिपि पर फिर से लगाया जाने वाला

उपनिबन्धक सदर प्रथम प्रयागराज क्रम संख्या 2020018022162

आवेदन संख्या : 202000890020601

अधिनियम 16 1908 की धारा 52 के अधीन रसीद

प्रस्तुतकर्ता या प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थी का नाम

डॉ० सत्यवती सिंह

निष्पादक का नाम डॉ० सत्यवती सिंह

लेख का प्रकार न्यास पत्र

प्रतिफल की धनराशि 100000

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनाँक 2020-12-11 00:00:00

दिनाँक जब लेख प्रतिलिपि

या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2020-12-11 00.

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

उप निबन्धक
सदर प्रथम, प्रयागराज

PRINCIPAL
Kesh Narayan Singh Vidhya Mand
Add: 288, Behmarpur Budhapur,0
Sultanpur Tehsil Lambhua

2/2/2021

Nidhi Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 741113

5. <u>न्यास के सदस्य</u> :

5.1 <u>संरक्षक सदस्य–</u> देश व समाज के ऐसे संभ्रान्त व्यक्ति जिन्हे संस्थापक न्यासी इस आधार पर मनोनीत करेंगे कि उनका समाज निर्माण मे विशिष्ट योगदान हो। वे न्यास के माध्यम से उसके उद्देश्यो के अनुसार अपना योगदान देने हेतु सहमत हों उनके कृतित्व, व्यक्तित्व व सामाजिक कार्य व्यवहार मे आम लोगों को प्रेरणा मिलें।

5.2 <u>संस्थापक सदस्य व संस्थापक न्यासी</u>– न्यास की स्थापना करने वाले न्यास के मसौदे मे प्रथम पृष्ठ मे उल्लिखित संस्थापक सदस्य के रुप मेतीन सदस्य ही संस्थापक सदस्य व संस्थापक न्यासी होंगे जो जीवन पर्यन्त रहेगे जब तक कि स्वेच्छा से त्याग पत्र न दे दें।

5.2 (क)– <u>संस्थापक न्यासियों के रिक्त पद पर नियुक्ति का प्राविधान व उनके अधिकार</u>– संस्थापक न्यासियों द्वारा पद रिक्त होने पर उनके स्थानों पर संस्थापक सदस्यों द्वारा लिखित नियुक्ति इच्छा या नामांकन के द्वारा पद भरा जायेगा। यदि ऐसा कोई लेख नही लिखा है तो पारिवारिक उत्तराधिकारी के अंतर्गत उनके निजी परिवार मे से किसी एक को शेष अन्य संस्थापक न्यासियों की इच्छा सहमति व हस्ताक्षर से रिक्त स्थान के लिए न्यासी बनाया जायेगा अध्यक्ष पद पर संस्थापक अध्यक्ष के परिवार के अतिरिक्त किसी अन्य को कदापि नामित नही किया जा सकेगा। संस्थापक न्यासियों द्वारा अपने जीवनकाल मे या उसके बाद नियुक्ति या नामांकित न्यासियों के वही अधिकार व कर्तव्य होगें जो संस्थापक न्यासी के कार्य एवं उत्तरदायित्व होंगे और जो इस दस्तावेज मे उल्लिखित है।

5.2ख– <u>न्यास के दस्तावेजों का संरक्षण व अधिकार</u>– न्यास के सम्बन्धित सभी दस्तावेज, लेखा पुस्तक, अभिलेख, प्रमाण पत्र व सम्पत्ति से सम्बन्धित प्रपत्र न्यास के अध्यक्ष व अधिपत्य मे सुरक्षित रहेंगे। अध्यक्ष द्वारा अन्य किसी पदाधिकारी व सदस्य को सुरक्षित रखने का अधिकार देने पर एक निश्चित समय और उद्देश्य के लिए ही वह अभिलेख उसके पास रहेंगे। तदन्तर पुनः वह अध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेगा। यदि इस बीच संस्थापक न्यासी और अध्यक्ष मे बदलाव

Satya nath Singh

Ajay Singh

SB Singh

PRINCIPAL
Keshi Narayan Singh Vidya Mandir
Add: 288, Behmarpur Budhapur,0,

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH CB 741112

होता है तो न्यास सम्बन्धी ये अभिलेख और दस्तावेज अन्य संस्थापक न्यासियों के नियंत्रण मे या उनकी सहमति से संस्थापक के पदधारक के पास सुरक्षित रहेंगे।

5.3– <u>न्यासी</u>– न्यास के संचालन के लिए केवल संस्थापक तीन न्यासी सदस्यों द्वारा बहुमत से नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति ही न्यासी होंगे **किशुना नारायण सेवा न्यास** मे संस्थापक 03 ।तीन। न्यासियों के अतिरिक्त 06 ।छः। अन्य सदस्य प्रबंधक न्यासी होंगे जो संरक्षक सदस्य सामान्य सदस्यों/विशिष्ट सदस्यों मे से संस्थापक सदस्यों द्वारा न्यास के संचालन के लिए प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति मे नियुक्त किए जायेंगे। प्रबन्ध समिति के छह अन्य सदस्यों तथा संरक्षक उपाध्यक्ष, प्रबन्धक/मंत्री, आय–व्यय निरीक्षक व दो सदस्यों को वही अधिकार प्राप्त होंगे जो दायित्व उन्हें नियमावली/ संविधान के अनुसार सौंपे जायेंगे। प्रत्येक दशा मे संस्थापक न्यासियों की संख्या 03 ।तीन। व सभी तरह के प्रबन्ध न्यासियों की अधिकतम संख्या 09 ।नौ। से ज्यादा कभी भी नही होगी।

5.।4।– <u>विशिष्ट सदस्य–</u> संस्थापक सदस्यों की लिखित अनुमति से न्यास के सिद्धान्तों व संविधान मे विश्वास रखने वाले वे व्यक्ति जो रु0 25000/– ।पच्चीस हजार रू0। एक बार मे न्यास को दान स्वरुप देंगे वह न्यास के विशिष्ट सदस्य होंगे। संस्थापक सदस्य न्यास के कार्यक्रमों के संवर्धन व उन्नयन की दृष्टि से आवश्यकतानुसार केवल पांच वर्षों के लिए ऐसे विशिष्ट सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकेंगे जो धन देने मे अक्षम हों किन्तु उनकी योग्यता, कृतित्व व व्यक्तित्व से न्यास को लाभ हो।

5.।5। <u>सामान्य सदस्य–</u> संस्थापक सदस्यों की लिखित अनुमति से न्यास के सिद्धान्तों व संविधान मे विश्वास रखने वाले वे व्यक्ति जो रु0 2100/– प्रतिवर्ष सदस्यता शुल्क देंगे वे सामान्य सदस्य होंगे। संस्थापक के न्यास के कार्यक्रमों के संवर्धन व उन्नयन की दृष्टि से आवश्यकतानुसार केवल पांच वर्षों के लिए ऐसे सामान्य सदस्यों की नियुक्ति भी कर सकेंगें जो धन देने मे अक्षम हों किन्तु उनके कृतित्व व व्यक्तित्व से न्यास को लाभ हो। न्यास की सदस्यता वार्षिक होगी। सदस्यता का नवीनीकरण अगले छः माह मे न कराने पर सदस्यता

Satyawati Singh

Ajay Singh

PRINCIPAL

Kesh Narayan Singh Vidhya Mandir

Add: 288, Behmarpur Budhapur 0

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये
रु.50
FIFTY RUPEES
Rs.50
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 741111

स्वतः समाप्त हो जायेगी और इस विषय पर अन्य तरीके से कोई भी दावा प्रस्तुत नही किया जा सकेगा और न ही किसी भी परिस्थिति मे मान्य होगा।

5. |6| <u>सदस्यता विषयक अन्य विधिक उपबंध</u>-- न्यास की सदस्यता का अर्थ संस्थापक सदस्य, संरक्षक सदस्य, विशिष्ट सदस्य व सामान्य सदस्य से है। न्यास के कुशल संचालन के लिए 01 |एक| संरक्षक सदस्य 03 |तीन| संस्थापक सदस्य, 04 |चार| विशिष्ट सदस्य व 05 |पांच| सामान्य सदस्य ही एक समय मे न्यास की सदस्यता प्राप्त कर सकेगें। इस तरह से प्रत्येक तरह के सदस्यों की कुल संख्या 13 |तेरह| होगी। ऐसे सदस्यों की नियुक्ति केवल पांच वर्ष के लिए की जायेगी। किन्तु प्रत्येक दशा मे सदस्यता की समय सीमा न्यास के पंजीकरण तिथि के पांचवे वित्तीय वर्ष के समापन 31 मार्च को समाप्त हो जायेगी जिसका नवीनीकरण छः माह मे नही करा लेने पर पूरी तरह से सदस्यता समाप्त मानी जायेगी और उस विषय मे कोई दावा स्वीकार नही होगा।

5 |7| <u>सदस्यता की समाप्ति</u>– निम्न परिस्थितियों मे सदस्यों की सदस्यता समाप्त की जा सकेगी:–

1– असंतुलित दिमाग, पागल व दिवालिया या अक्षम हो जाने पर।

2– न्यास के संविधान के सिद्धान्तों के विरुद्ध कार्य करने पर।

3– न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने व अपराध मे दण्डित होने पर।

4– सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।

5– संस्थापक न्यासियों द्वारा निष्कासित किये जाने पर।

6– आर्थिक कदाचार मे शामिल होने पर संस्थापक द्वारा अविश्वास प्रस्ताव द्वारा निकाले जाने पर।

Satyawati Singh

Ajay Singh

SBSingh

PRINCIPAL
Kesh Narayan Singh Vidhya Mandi
Add: 288, Behmarpur Budhapur ...

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रू.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 741110

7– त्याग पत्र देने पर।

6. न्यास के अंग–

1. मार्गदर्शक व संरक्षक समिति।

2. प्रबन्धकारिणी समिति।

6.।1। मार्गदर्शक व संरक्षण समिति के अधिकार व कर्तव्य– संस्थापक तीन

सदस्यीय न्यासियों एवं संरक्षक सदस्य की गठित समिति मार्गदर्शक व

संरक्षक समिति होगी व आगे जहां भी संस्थापक न्यासी का जिक्र होगा वहां इसका अर्थ मार्गदर्शक व संरक्षक समिति के अधीन होगी। मार्गदर्शक व संरक्षक समिति द्वारा प्रति 5 वर्ष के लिए समिति का गठन किया जायेगा किन्तु तब तक संस्थापक न्यासी पूर्णतया संतुष्ट न हों एवं इस तरह का प्रस्ताव न आए अब तक इसकी कुल संख्या अधिकतम 13 ।तेरह। होगी। मार्गदर्शक व संस्थापक समिति के लिए भूमि व अन्य चल– अचल संपत्तियों खरीदने का अधिकार संस्थापक न्यासियों मे निहित रहेगा साथ ही संस्थापक न्यासियों के पास यह अधिकार व शक्ति होगी कि किसी प्रकार की संपत्ति को खरीदने, खड़ा करने, बनाने, बेचने या किसी प्रकार की भूमि, बिल्डिंग, वर्कशाप, प्रापर्टी या संपत्ति को किसी भी प्रकार से हटाने या समाप्त करने का अधिकार होगा, बशर्ते कि न्यासियों का यह कार्य न्यास के हितों के विपरीत न हो। मार्गदर्शक व संरक्षक समिति संस्था के किसी भी प्रकार के विवादों को सुलझाने मे सक्षम होगी व उनका निर्णय सर्वमान्य होगा। न्यास के सम्बन्ध मे अन्य विवाद की दशा में बिना संस्थापक न्यासियों की अनुमति से न्यास का कोई सदस्य न्यायिक दीवानी, फौजदारी आदि का कोई मुकदमा दर्ज नही करा सकेगा। मार्गदर्शक व संरक्षक समिति न्यास की सर्वोच्च कार्यवाही व सर्वाधिकार से युक्त संस्था होगी जो केवल न्यास के हितों के लिए उत्तरदायी होगी। संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं वित्तीय संस्थाओं निजी व सामुदायिक सदस्यों व संस्थानों से किसी भी

Satyawati Singh

Ajay Singh

SB Singh

PRINCIPAL
Kesh Narayan Singh Vidhya I
Add: 288, Behmarpur Budhap

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 741109

प्रकार की सहायता वित्तीय सामाजिक, कर्ज, आर्थिक, उपहार, सामग्री, संसाधन आदि प्राप्त करना मार्गदर्शक व संरक्षक समिति के अधिकार क्षेत्र मे होगा। संस्थापक न्यासी दान–अनुदान, चन्दा आदि नगद या सम्पत्ति या काइन्ड्स के रुप मे अन्य वस्तुएं किन्हीं व्यक्तियों से कम्पनी, निगम, संगठन, संस्था, राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान, न्यास से न्यास के ओर से न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए स्वीकार कर सकेगें। संस्थापक न्यासी न्यास की ओर से किसी भी संपत्ति को नियमानुसार अपने पास रख सकता है। संस्थापक न्यासी न्यास की ओर से किन्हीं चल व अचल सम्पत्तियों को कुछ समय या एक निश्चित समय के लिए अनुबन्धों के आधार पर मासिक किराए दे सकेगा। जिसका प्रबन्धन नियत अवधि व शर्तो के संस्थापक न्यासी द्वारा अपने विवेकानुसार निर्णीत किया जा सकेगा। संस्थापक न्यासियों को यह अधिकार होगा कि वह न्यास के कार्यों व उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी विधिक अनुबन्ध को कर सकेगा व विशेषज्ञों की नियुक्ति व निष्कासन कर सकेगा। ऐसे अनुबन्ध/प्रमाणपत्र व दस्तावेज तभी प्रभावी होंगे जब संस्थापक न्यासी उसे हस्ताक्षरित करें व कियान्वित करें। संस्थापक न्यासी किन्हीं भी तरह के विवादों मे अपना फैसला देंगे और न्यास हित मे सर्वोच्च होंगे तथा न्यास के किसी अन्य सदस्य अथवा पदाधिकारी के प्रति जबावदेह नही होंगे। संस्थापक न्यासी न्यास के कार्यो मे होने वाले व्यय की भरपाई कर सकते हैं किन्तु वे किसी मानदेय के अधिकारी नही होंगे। संस्थापक न्यासी न्यास द्वारा संचालित संस्थाओं/केन्द्रों/प्रतिष्ठानों/आवासीय परिसरों के लिए नियम व कानून बना सकता है जो सभी संस्थाओं/केन्द्रों/प्रतिष्ठानों/आवासीय परिसरों पर कार्यरत रहने वाले के आचरण के लिए जरूरी हो। संस्थापक न्यासी नियमों मे संशोधन करने सुधारने के लिए स्वतंत्र हैं जिसे संस्थानों पर अनुशासन कायम तथा इनका जनहित मे कुशल या प्रभावी संचालन किया जा सके।

<u>6।2।– प्रबन्ध कारिणी ।न्यासी मण्डल। का गठन व उसके अधिकार व कर्तव्य</u>– प्रबन्ध कारिणी समिति का गठन संस्थापक न्यासियों विशिष्ट सदस्यों को मिलाकर किया जाएगा। यह मार्गदर्शक व संरक्षक समिति के अधीन कार्य करेगी इसमे एक संरक्षक, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/मंत्री, एक कोषाध्यक्ष व एक सदस्य कुल सात पदाधिकारी होंगे। प्रबंध कारिणी

Satyawati Singh

Ajay Singh

PRINCIPAL
Kesh Narayan Singh Vidhya Mand
Add: 288, Behmarpur Budhapur,0

SBSingh

भारतीय गैर न्यायिक
भारत
पचास रुपये
FIFTY RUPEES
रु.50
Rs.50
INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 741108

समिति के पदाधिकारियों को कार्य आबंटन न्यास के हितों को दृष्टिगत रखते हुए संस्थापक न्यास करेंगें। प्रबन्ध कारिणी समिति की वार्षिक बैठक वर्ष मे एक बार बुलायी जा सकेगी। सामान्य बैठकों की सूचना सात दिन पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना चौबीस घंटे पूर्व दी जा सकेगी। गणपूर्ति के लिए प्रबंधकारिणी सदस्यों मे से 04 ।चार। सदस्यों की उपस्थिति को कोरम पूर्ण माना जायेगा। स्थगित बैठक पुनः तीन दिन की सूचना पर बुलायी जा सकती है। जिससे पूर्व एजेण्डा पर बिना गणपूर्ति के निर्णय लिये जा सकेगें। प्रबन्ध समिति में आकस्मिक रिक्तियों के होने की दशा मे एजेण्डा पर बिना गणपूर्ति के निर्णय लिए जा सकेंगे। प्रबन्ध समिति के आकस्मिक रिक्तियों के होने की दशा में उस स्थान पर संस्थापक न्यासियों द्वारा सामान्य विशिष्ट सदस्यों मे से नये पदाधिकारियों की नियुक्ति शेष कार्यकाल के लिए की जा सकेगी।

6 ।3। <u>साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य</u>— समस्त सदस्यों की बैठक की सूचना पन्द्रह दिन पूर्व प्रदान की जायेगी। न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नीति निर्धारण करना और उसका नियमानुसार क्रियान्वयन कराना। न्यास की उप—समितियों के गठन के लिए संस्थापक न्यासियों की राय से संशोधन का प्रस्ताव लाना व उसका अनुमोदन करना। कार्यकाल पूर्ण होने पर न्यास की प्रबन्ध समिति का चुनाव मे संस्थापक न्यासियों की सहायता करना।

7— <u>न्यासी मण्डल के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य</u>—

7 ।1 ।— <u>अध्यक्ष</u>— न्यास का अध्यक्ष संस्थापक न्यासी होगा। अध्यक्ष न्यास का मुख्य कार्यपालक प्रशासक व समस्त प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य उनके हस्ताक्षर से प्रतिपादित होंगे। अध्यक्ष न्यास के संचालन के लिए आवश्यकतानुसार उपसमितियां गठित कर सकेगा व उनपर नियंत्रण रखेगा। न्यास के लिए नीति निर्धारण करना चल—अचल संपत्ति न्यास के लिए भूमि क्रय करना, बेंचना, उन्हें रेहन व निष्कासन करना आदि कार्य अध्यक्ष के कार्यक्षेत्र व अधिकार मे होगा। साधारण सभा व प्रबन्ध कारिणी समिति की अध्यक्षता करना व आवश्यकता होने पर वह निर्णायक मत दे सकेगा। किसी भी पदाधिकारी द्वारा न्यास के उद्देश्यों के विपरीत कार्य या आचरण करने पर अध्यक्ष उसे पदच्युत या न्यास की सदस्यता का निलम्बन अथवा

Satyawati Singh
Ajay Singh

SBSingh

PRINCIPAL
Kesh Narayan Singh Vidhya Mandir
Add: 288, Behmarpur ...

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये Rs.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

CB 741107

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

निष्कासन कर सकेगा। किसी कार्य हेतु एक निश्चित अवधि के लिए प्रबन्ध कारिणी समिति को उत्तरदायित्व सौंप कर उनसे कार्य लेगा। अध्यक्ष अपना उत्तराधिकारी स्वयं घोषित व नियुक्त कर सकेगा, जिसके अधिकार उसकी अनुपस्थिति मे न्यास के दस्तावेज के अनुसार पदाधिकारियों के अधिकार व उद्देश्यों का अधिकार व कर्तव्यों के अनुसार होंगे। संस्थापक न्यासियों की सहमति व परामर्श यह न्यास के उद्देश्यों के अधिकार व कर्तव्य के अनुसार होंगे। संस्थापक न्यासियों की सहमति व परामर्श से वह न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बजट बनायेगा, धन आबंटित करेगा और उस पर नियंत्रण कर सकेगा व इस हेतु उप–समितियों को उत्तरदायित्व सौंप सकेगा। अध्यक्ष न्यास के समस्त तरह की परिसम्पत्तियों के निर्माण व रख–रखाव का प्रभारी रहेगा। वार्षिक कार्य योजना बनाना व न्यास की नीतियों व रख–रखाव का प्रभारी रहेगा। वार्षिक कार्य योजना बनाना व न्यास की नीतियों व कार्यक्रमों के कियान्वयन का कार्य करना। अध्यक्ष न्यास के कर्मचारियों का प्रमुख अधिशाषी अधिकारी होगा।

7 |2 | **उपाध्यक्ष**– उपाध्यक्ष संस्थापक न्यासियों द्वारा विशिष्ट सदस्यों व सामान्य सदस्यों मे से नामित किये जायेगें। वह अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे न्यास की समस्त बैठकों की अध्यक्षता कर सकेगा। उपाध्यक्ष अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे वित्तीय सम्पति व न्यास के संस्थानों के विकय, रेहन कार्यो को करने के अतिरिक्त वह सभी कार्यों को कर सकेगा जो न्यास के उद्देश्यों के अनुसार व उसके हित मे हो। उपाध्यक्ष समय–समय पर अध्यक्ष द्वारा सौंपे गये कार्यों व उनके संस्थानों की देखभाल करेगा व उसकी रिपोर्ट अध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा।

7 |3 | **सचिव**– न्यास का सचिव संस्थापक न्यासी होगा। सचिव अन्य संस्थापक न्यासियों के परामर्श से न्यास से सम्बन्धित सभी प्रकार के पत्र व्यवहार करेगा। न्यास से सम्बन्धित साहित्य को लिपिबद्ध कर प्रकाशित कराने मे प्रमुख भूमिका निभायेगा। प्रत्येक बैठक की कार्यवृत्ति एक रजिस्टर मे सचिव द्वारा दर्ज की जायेगी जिसमे समस्त उपस्थित जनों के हस्ताक्षर होगें। सचिव द्वारा लिपिबद्ध कार्यवाही विवरण को आवश्यकता पड़ने पर अन्तिम प्रमाण के रुप मे माना जायेगा। सचिव न्यास के विधान के अनुसार अपना उत्तराधिकारी स्वयं घोषित व नियुक्त कर सकेगा। सचिव न्यासी को यह अधिकार होगा कि वे संस्थापक अध्यक्ष

Satyawati Singh

Ajay Singh

PRINCIPAL
Kesh Narayan Singh Mah
Add: 288, Behmarpur Bud

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 741106

की सहमति से रु0 25,000/– |पच्चीस हजार| तक का धन खर्च कर सकें| किन्तु व्यय के उपरान्त इसे संस्थापक न्यासियों से अनुमोदित कराना होगा। अध्यक्ष द्वारा लिखित रुप से लिए गये उत्तरदायित्व को वह पूरित करेगा।

7 |4 | <u>उपसचिव</u>-- न्यास का प्रबन्धक/उपसचिव संस्थापक न्यासियों द्वारा नियुक्त किया जायेगा व उनके मार्गदर्शन मे कार्य करेगा। वह न्यास कार्यों का पर्यवेक्षण कर सकेगा और उपसचिव न्यासी सचिव के कार्यों मे अभिलेखों के रख–रखाव सहित समस्त कार्यों मे सहयोग करेगा। न्यास के उद्देश्यों व अन्य कार्यों के लिए इस दस्तावेज मे निर्धारित न्यासियों की शक्तियों का हनन किए बिना उप–सचिव न्यासी को यह अधिकार होगा कि वे संस्थापक अध्यक्ष की सहमति से रू0 10000/– |दस हजार| तक का धन खर्च कर सकें| किन्तु व्यय के उपरान्त इसे संस्थापक न्यासियों से अनुमोदित कराना होगा। अध्यक्ष द्वारा लिखित रुप से लिए गये उत्तरदायित्व को वह पूरित करेगा।

7 |5 | <u>कोषाध्यक्ष</u>-- न्यास का कोषाध्यक्ष संस्थापक न्यासी ही होगा। वह दान, अनुदान, चन्दा, सदस्यता शुल्क आदि को प्राप्त करेगा व न्यास के खातें में जमा करायेगा यदि धन निकाला भी जायेगा तो अध्यक्ष की हस्ताक्षर से न्यास की निधि निकलेगी। कोषाध्यक्ष आय–व्यय विवरण समय–समय पर कार्य कारिणी के सामने प्रस्तुत करेगा। उसका पूरा उत्तरदायित्व अध्यक्ष का होगा। कोष का लेखा–जोखा, कैश–बुक, रजिस्टर व सम्बन्धित रिकार्ड वह रखेगा व न्यास के आय व्यय के लिए वह नियुक्त आय–व्यय निरीक्षक या चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट को उपलब्ध करायेगा।

7 |6 |– <u>आय–व्यय निरीक्षक</u>-- न्यास का आय–व्यय निरीक्षक कोषाध्यक्ष से सम्पर्क कर न्यास का आय–व्यय रखेगा और उसे चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से प्रमाणित व सत्यापित करायेगा।

Satyawati Singh

Ajay Singh

SB Singh

PRINCIPAL
Kesh Narayan Singh Vidya Mandir
Add: 288, Behmarpur Budhapur, 0, ...

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये

FIFTY RUPEES

रु.50

Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 741105

7 |7 | **सूचना अवधि**– प्रबन्ध कारिणी समिति की कम से कम सात दिन पूर्व बैठक की सूचना दी जायेगी। विशेष परिस्थितियों मे एक दिन पूर्व भी सूचना देने पर विशेष बैठक की जा सकेगी। सूचना सचिव द्वारा किसी भी माध्यम से भेजी जा सकेगी।

7 |8 | **बैठकें**– प्रबन्ध कारिणी समिति की वर्ष मे न्यूनतम दो बैठकें अवश्य होंगी। विशेष बैठक कभी भी बुलायी जा सकती है। सूचना सचिव द्वारा किसी भी माध्यम से दी जा सकेगी।

7 |9 | **अन्य विधि उपलब्ध** – उद्देश्य की कमी के कारण यदि न्यास का काम प्रभावित होता है और यदि यह इनकम टैक्स नियम 1961 के अन्तर्गत नही पाया जाता है। या यह चैरिटेबल न्यास के रुप मे अपने ही किन्हीं नियमों मे अर्न्तविरोध करता है या उद्देश्य की कमी के कारण यह असफल होता है तो संस्थापक न्यासी न्याय के उद्देश्यों मे संशोधन या बदलाव कर सकते हैं। कोई भी संस्थापक न्यासी न्यास की हानि के लिए उत्तरदायी नही होगा जब तक कि इस हेतु उसकी लापरवाही साबित नही हो जाती। संस्थापक न्यासियों को यह अधिकार होगा कि वह अपने जीवनकाल मे या उसके उपरान्त समान विचारधारा, उद्देश्यों या नीतियों वाली दूसरे न्यासियों मे शहीद असगर फाउन्डेशन न्यास को या दूसरे न्यासों को किशुना नारायण सेवा न्यास मे समाहित कर सकेगा।

8.1 **कानूनी वाद**– प्रत्येक तरह के कानूनी वाद यथा न्यास द्वारा उनके विरुद्ध अदालती कार्यवाही संस्थापक न्यासियों व अध्यक्ष की ओर से लिखित सहमति के उपरान्त सचिव द्वारा नियुक्त न्यास विधिक परामर्शदाता द्वारा चलाए जाएंगे। न्यास से सम्बन्धित समस्त तरह के वादों का न्यास क्षेत्र इलाहाबाद होगा। यदि संस्थापक न्यासियों के अतिरिक्त अन्य न्यासी न्यास के विरुद्ध कार्य करते हैं तो उनके विरुद्ध भी वाद संस्थापित किया जा सकेगा।

8. |2 | **आय–व्यय निरीक्षण**– न्यास का आय–व्यय निरीक्षण प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जायेगा।

8 |3 | **बैंक का खाता**– न्यास का बैंक खाता किसी एक या अधिक राष्ट्रीयकृत बैंक मे अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष मे से किन्ही दो के हस्ताक्षर से खोला जायेगा जैसा कि संस्थापक

Satyawati Singh

Ajay Singh

PRINCIPAL
Keshi Narayan Singh Vidhya Mandi
Add: 288, Behmarpur Budhapur,0, .
Sultanpur

SB Singh

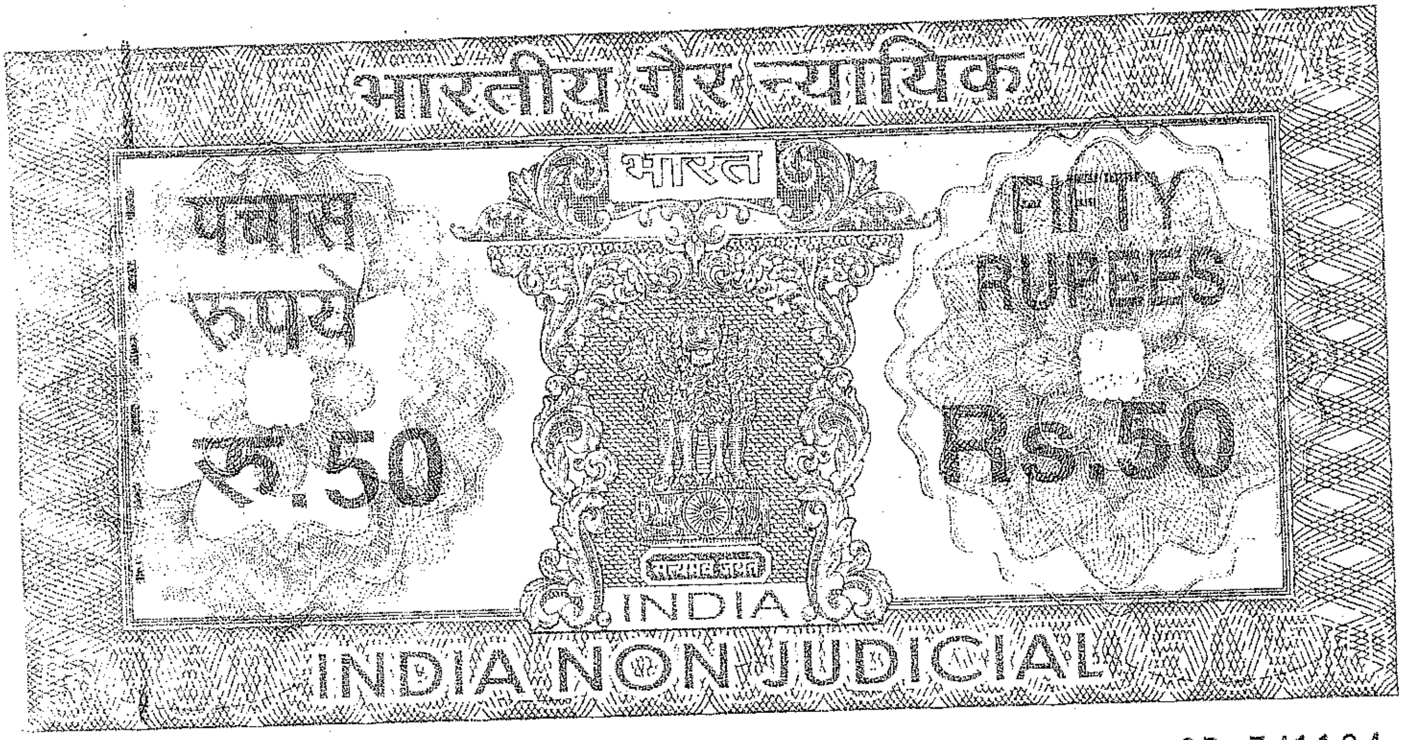

CB 741104

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

न्यासी समय–समय पर निर्णय लेंगे। न्यास का प्रत्येक पैसा न्यास के खाते मे जमा व दर्ज होगा। न्यास के अध्यक्ष दूसरे अन्य खाताओं के लिए यदि आवश्यक समझेंगे तो संस्थापक न्यासी न्यास की ओर से अन्य पदाधिकारियों को लिखित रुप मे अधिकृत कर सकेंगें।

8 |4 | <u>न्यास के अभिलेख</u>– न्यास की सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, नियमावली तथा पंजीयन सम्बन्धी दस्तावेज, स्टाक रजिस्टर, पत्राचार रजिस्टर, कोष सम्बन्धी समस्त अभिलेखों तथा कैश बुक, कैश रसीद, वाउचर फाइल, चेक बुक, पास बुक इत्यादि न्यास कार्यालय मे अथवा अध्यक्ष के पास सुरक्षित रहेंगें।

8 |5 | <u>विघटन</u>-- ट्रस्ट का विघटन इन्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अनुसार किया जायेगा। ट्रस्ट के विघटन की स्थिति मे दायित्वों के निपटाने के पश्चात सम्बन्धित अन्य सम्पत्ति अन्य समुद्देशीय न्यास के संस्थापक सदस्यों के बहुमत के आधार पर अन्तरित किया जा सकेगा।

हम उपरोक्त हस्ताक्षर कर्ता पदधारक व संस्थापक न्यासी घोषित करते हैं कि हमने इन्डियन चैरिटेबल न्यास के अंतर्गत नियमावली मे प्रदत्त कार्य, शक्ति और अधिकार एवं उत्तरदायित्व के अनुसार एक न्यास का गठन किया है।

Satyawati Singh
Ajay Singh

PRINCIPAL
Kesh Narayan Singh Vidhya Mar
Add: 288, Behmarpur Budhapur.

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

CB 741103

किशुना नारायण सेवा न्यास निर्माण की घोषणा

यह चैरिटेबल न्यास दिनांक 20.05.2019 को डा0 श्री समर बहादुर सिंह पुत्र स्व0 श्री केश नारायण सिंह, निवासी 64/3/7 सुकृति विहार, ड्रमण्ड रोड, प्रयागराज द्वारा संस्थापक के रुप मे संस्थान प्रयागराज मे इंडियन चैरिटेबल, ट्रस्ट एक्ट– 1992 के अन्तर्गत लोक हितकारी एवं परमार्थ कार्य हेतु किशुना नारायण सेवा न्यास नाम से एक न्यास की संस्थापना की गयी। जिसके अनुसार निम्नलिखित संस्थापक ट्रस्टी होंगे:–

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद
1.	डा0 समर बहादुर सिंह	स्व0 केश नारायण सिंह	64/3/7 सुकृति विहार, ड्रमण्ड रोड, प्रयागराज	संस्थापक सदस्य
2.	डा0 सत्यवती सिंह	पत्नी डा0 समर बहादुर सिंह	64/3/7 सुकृति विहार, ड्रमण्ड रोड, प्रयागराज	संस्थापक सदस्य
3.	विवेक सिंह	पुत्र डा0 समर बहादुर सिंह	64/3/7 सुकृति विहार, ड्रमण्ड रोड, प्रयागराज	संस्थापक सदस्य
	डा0 वसुधा सिंह	पत्नी श्री नीरज सिंह	सी एस–1, 903 केप्टाउन, सुपरटेक, सेक्टर–74, नोएडा	संस्थापक सदस्य
5.	वेदांत सिंह	पुत्र डा0 समर बहादुर सिंह	64/3/7 सुकृति विहार, ड्रमण्ड रोड, प्रयागराज	संस्थापक सदस्य

किशुना नारायण सेवा न्यास नाम के न्यास के संचालन हेतु संस्थापक सदस्यों द्वारा रू0 1,00,000/– (एक लाख रुपये) की निधि स्थापित की गयी है। जो न्यास की सुरक्षित निधि के रुप मे न्यास के संचालन हेतु प्रदत्त होगी। न्यास का संचालन निम्न उद्देश्यों व नियमों के अनुरुप किया जायेगा।

Satyavati Singh

Ajay Singh

PRINCIPAL
Kesh Narayan Singh Vidhya Mandir
Add: 288, Behmarpur Budhanpur ...

SB Singh

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये रु.50

FIFTY RUPEES Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

CB 741102

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13

किशुना नारायण सेवा न्यास के कार्य व दस्तावेज

1. न्यास का नाम : किशुना नारायण सेवा न्यास
2. न्यास का पंजीकृत पता : 64/3/7 सुकृति विहार, ड्रमण्ड रोड, प्रयागराज अन्य संस्थानों पर समय–समय पर जैसा संस्थापक न्यासी निर्णय लें।

2–।क। न्यास का प्रशासनिक कार्यालय : 64/3/7 सुकृति विहार, ड्रमण्ड रोड, प्रयागराज।

1. न्यास के कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष
2. न्यास के उद्देश्य : न्यास के निम्नलिखित उद्देश्य होगें:–
   1. शैक्षिक, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक व पर्यावरणीय दृष्टि से नदियों को प्रदूषण से बचाने के लिए, नदी सफाई व जन– जागरण अभियान चलाना व उक्त हेतु सेमिनार, कान्फ्रेंस, वर्कशाप और प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु कार्य करना।
   2. प्रत्येक तरह के आवासीय/गैर आवासीय, स्कूल, कालेज, संस्कृत विद्यालय, मदरसा, रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्रशिक्षण संस्थान पुनर्वास केन्द्र की स्थापना करना।
   3. शिक्षा प्रदान करने के लिए महाविद्यालय की स्थापना करना व जरूरतमंद व्यक्तियों, संस्थाओं, समूहों को विधिक सहायता प्रदान करना।

Satyawati Singh

Ajay Singh

PRINCIPAL
Kesh Narayan Singh Vidhya Mandir
Add: 288, Behmarpur Budhapur,0, .

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये ₹.50

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

CB 741101

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4. बाल श्रम को रोकने व महिला कल्याण हेतु सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, कम्प्यूटर, ग्रामोद्योग व हस्तशिल्प सहित प्रत्येक क्षेत्रों मे उन्हें सामाजिक बराबरी व स्वावलम्बन के लिए पुनर्वास केन्द्र व प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना।

5. रक्षक या प्रहरी कमेटियों की स्थापना करना व मानव अधिकार और नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए सिविल सोसायटी का गठन कर जागरूकता अभियान चलाना।

6. ग्रामीण समाज व मलिन बस्तियों के स्वास्थ्य, पोषण, पर्यावरण, शिक्षा और कृषि, पंचायत महिला समस्या, पानी की स्वच्छता और मृदा संरक्षण हेतु प्रोजेक्ट को बनाना व समस्याओं के समाधान हेतु कार्य करना।

7. सरकार द्वारा स्कूली बच्चों के पोषण बिना लाभ के उद्‌देश्य से औद्योगिक इकाईयों को पुर्ननिर्माण व उन्हें पुर्नजीवित करना।

8. कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए बिना लाभ के उद्‌देश्य से औद्योगिक इकाईयों को पुर्ननिर्माण व उन्हें पुर्नजीवित करना।

9. शोधरत व अध्ययनरत छात्रों के लिए आवश्यकतानुसार कोचिंग, पुस्तकालय व छात्रावास आदि की सुविधा उपलब्ध कराना।

10. संस्थान न्यासियों के परामर्श से समान उद्‌देश्यों वाले किसी भी ऐसे न्यास सोसायटी या संस्थान से समन्वय स्थापित कर कार्यकमों को चलाने व सहायता देना व प्राप्त करना।

11. नदियों, जलाशयों, तालाबों, कुओं, जल स्रोतों का रख–रखाव संरक्षण व स्व–जल धारा योजना के अर्न्तगत ग्रामीण क्षेत्रों मे शुद्ध पानी उपलब्ध कराना।

12. पुस्ताकालयों, वाचनालयों, शिक्षालयों एवं दूरस्थ शिक्षा केन्द्रों की स्थापना करना व प्राचीन पाण्डुलिपियों का संरक्षण करना।

Satyawati Singh

Ajay Singh

PRINCIPAL
Kesh Narayan Singh Vidhya Man
Add: 288, Behmarpur Budhapur,
Sultanpur Tehsil Lambhua

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

15

22AE 920500

13. पर्यावरण संरक्षण व ग्लोबलवार्मिंग रोकने हेतु सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशाला आदि का आयोजन कर समाज मे जागृति फैलाना।

14. उद्यमिता विका व तकनीकी प्रशिक्षण व स्वरोजगार प्रशिक्षण हेतु कालेज व संस्थान खोलना व उक्त हेतु कार्य करना।

15. विज्ञान, संस्कृति, साहित्य, नाट्य कला, चित्रकला, अभिनय, संगीत का शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान करना व उसके संवर्धन हेतु प्रयास करना।

16. विलुप्त हो रही सांस्कृतिक परंपराओं गीतो, संगीत, नौटंकी का संरक्षण प्रशिक्षण प्रदान करना व उसके संवर्धन हेतु प्रयास करना।

17. युवाओं के नेतृत्व व व्यक्तित्व विकास हेतु खेलकूद प्रतियोगिता, क्रिकेट टूर्नामेंट, दंगल आदि का आयोजन करना।

18. विधवाओं विकलांगों वृद्धों के कल्याण व जीवन निर्वाह हेतु अनाथालयों व वृद्धाश्रमों की स्थापना करना।

19. विधवाओं, विकलांगों, वृद्धों के मानसिक विकास हेतु कार्यक्रम चलाना।

20. स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों, निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों, निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविरों, नशा खेारी से मुक्ति व एड्स फैलने से बचने के लिए जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करना व स्वास्थ्य केन्द्रों व स्वास्थ्य शिक्षा संस्थानों की स्थापना व संचालन करना एवं औषधीय सहायता करना।

21. गरीबों के जन कल्याण के लिए निर्धन परिवार के बच्चों के लिए सामूहिक विवाह समारोहों का आयोजन करना।

22. योग, आयुर्वेद व भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के उन्नयन, प्रचार प्रसार तथा शोध और चिकित्सा हेतु कार्य करना।

15

PRINCIPAL
Kesh Narayan Singh Vidhya Mandir
Add: 288, Behmarpur Budhapur,0,
Sultanpur

भारतीय गैर न्यायिक

दस रुपये रु.10

भारत

TEN RUPEES Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22AE 920499

23. प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, भूकम्प, अग्नि दुर्घटना आदि मे पीड़ित जनों को सहायता पहुंचाना।

24. न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ट्रस्ट की सम्पत्तियों को रेहन/ गिरवी/बंधक रखकर बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना। साथ ही जरूरत पड़ने पर ट्रस्ट की सम्पत्तियों की बिक्री करना आदि।

25. उपर्युक्त समस्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार, राज्य सरकारों, बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं से देश एवं विदेश के दान दाताओं एवं व्यक्तियों के अनुदान, दान चन्दा तथा ऋण आदि प्राप्त करना तथा उद्देश्यों के अनुरुप व्यय करना।

26. न्यास के माध्यम से पूरे विश्व के ऐसे व्यक्तियों जिनका कोई सहारा न हो जिनकी मृत्यु के उपरान्त भारतीय जीवन शैली या पद्धति के अनुसार कर्म काण्ड व यहां की नदियों गंगा, यमुना या धार्मिक स्थलों प्रयाग, काशी, हरिद्वार या अन्य स्थलों मे अपनी अस्थियों को विसर्जित करने की इच्छा हो और वे अपनों के न होने समय या दूरी के अभाव मे स्वयं परिवार को अक्षम महसूस करते हों तो उनके सहायतार्थ न्यास द्वारा सुविधाएं व प्रयोजन को पूरित करने हेतु कार्य करना तथा अल्प संख्यक समुदाय के लावारिस मृतक शरीर का कफन दफन एवं फूल फातिहा, परम्परा, हदीस एवं शरीयत के हिसाब से करना।

27. किशुना नारायण सेवा न्यास, अल्प संख्यक एवं अन्य समाज के ऐसी शोषित पीड़ित महिलाओं के उत्थान के लिए काम करेगा, किन्हीं कारणों से विवशता मे वेश्या वृत्ति या अन्य कार्य मे संलग्न हो गयी हैं। न्यास ऐसी महिलाओं के उद्धार व कल्याण हेतु कार्य करेगा व उनके बच्चों के शिक्षण व सम्मान हेतु पुर्नउद्धार कार्यक्रम चलाएगा।

28. किशुना नारायण सेवा न्यास राष्ट्र भक्त एवं देश पर मर मिटने वाले समाजसेवी व उनके परिवार के सदस्यों के कृतित्व, व्यक्तित्व, शैक्षिक व उनके समाज सेवा के प्रचार व प्रसार संरक्षण हेतु कार्य करेगा व उनके परिवार द्वारा संस्थापित समस्त समितियों व संस्थानों,

16

Satyawati Singh

Ajay Singh

PRINCIPAL
Kesh Narayan Singh Vidhya Man
Add: 288, Belmarpur Budhapur,
Sultanpur Tehsil Lambhua

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

17

22AE 920498

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

विद्यालयों के समस्त कार्यों एवं गतिविधियों का प्रमुख प्रभारी व कार्यवाहक संस्थानों के रुप मे कार्य करेगा।

29. इण्डियन चैरिटेबल ट्रस्ट एक्ट 1882 के अंतर्गत वे सभी करेगा जो नियमानुसार सद्भावना, परमार्थ, सेवा, शिक्षा व कल्याण के अनुरुप हो।

30. न्यास के संस्थापक न्यासियों प्रबन्धकारिणी समिति ।न्यासी मण्डल। के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का नाम, पता, पद व व्यवसाय का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र0 सं0	नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	डा0 सत्यवती सिंह पत्नी डा0 समर बहादुर सिंह	64/3/7 सुकृति विहार, ड्रमण्ड रोड, प्रयागराज	अध्यक्ष	प्रवक्ता अवकाश प्राप्त आ0 नं0–4346 3799 1850 मो0नं0–9793619403
2.	विवेक सिंह पुत्र डा0 समर बहादुर सिंह	64/3/7 सुकृति विहार, ड्रमण्ड रोड, प्रयागराज	उपाध्यक्ष	नौकरी
3.	डा0 समर बहादुर सिंह पुत्र स्व0 केश नारायण सिंह	64/3/7 सुकृति विहार, ड्रमण्ड रोड, प्रयागराज	सचिव	चिकित्सक
4.	वेदांत सिंह पुत्र डा0 समर बहादुर सिंह	64/3/7 सुकृति विहार, ड्रमण्ड रोड, प्रयागराज	उपसचिव	अधिवक्ता
5.	राजेन्द्र प्रताप सिंह पुत्र स्व0 राम बहादुर सिंह	ग्रा0 अमटाही, पो0 भादर, जिला अमेठी	कोषाध्यक्ष	नौकरी
6.	डा0 वसुधा सिंह पत्नी श्री नीरज सिंह	सी एस–1, 903 केप्टाउन, सुपरटेक, सेक्टर–74, नोएडा	सदस्य	नौकरी
7.	डा0 आकांक्षा सिंह पत्नी	64/3/7 सुकृति विहार,	सदस्य	समाज सेवा

Satyawati Singh

Ajay Singh

PRINCIPAL
Kesh Narayan Singh Vidhya Mandir
Add: 288, Behmarpur Budhapur,0,
Sultanpur Tehsil Lambhua

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

TEN RUPEES

रु. 10

Rs. 10

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 18 22AE 642302

	श्री विवेक सिंह	ड्रमण्ड रोड, प्रयागराज		
8.	अमर बहादुर सिंह पुत्र स्व0 केश नारायण सिंह	27/2, इन्द्रा विहार कालोनी, ड्रमण्ड रोड, प्रयागराज	सदस्य	समाज सेवा
9.	रमेश मालवीय पुत्र श्री बद्री नाथ मालवीय	25, कानपुर रोड, प्रयागराज	सदस्य	समाज सेवा
10.	राम कुमार सिंह पुत्र स्व0 शारदा सिंह	त्रिमूर्ति, कोटसराय, अयोध्या	सदस्य	समाज सेवा
11.	राकेश पाण्डेय पुत्र श्री चन्द्रिका प्रसाद	112के/23ई/1ई, भोला का पुरवा, सुलेम सराय, प्रयागराज।	सदस्य	समाज सेवा

उपरोक्त हस्ताक्षर कर्ता पदधारक व संस्थापक न्यासी घोषित करते हैं कि हमने इण्डियन चैरिटेबल न्यास एक्ट के अन्तर्गत नियमावली मे प्रदत्त कार्य, शक्ति अधिकार एवं उत्तरदायित्वों के अनुसार एवं न्यास का गठन किया है।

<u>संस्थापक न्यासियों के नाम व हस्ताक्षरः–</u>

1. डा0 समर बहादुर सिंह
2. डा0 सत्यवती सिंह -- Satyawati Singh
3. विवेक सिंह
4. डा0 वसुधा सिंह
5. वेदांत सिंह

Satyawati Singh

Ajay Singh

SB Singh

PRINCIPAL
Kesh Narayan Singh Vidhya Mandir
Add.-289, Behmarpur Budhapur,0,
Sultanpur Tehsil Lambhua

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 19 22AE 642301

गवाहों/साक्षी के नाम :—

1. श्रीमती आशा रानी
   पत्नी श्री विनय सिंह
   निवासी—165 वी0एच0एस0, अल्लापुर,
   परगना व तहसील—सदर,
   जिला—प्रयागराज (इलाहाबाद)।
   आधार नं0—9512 4370 3809
   मो0नं0—9451839914

A. Singh

2. श्रीमती ऊषा सिंह
   पत्नी श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह
   निवासी—मकान नं0—24/13ए/1, ड्रमण्ड रोड,
   परगना व तहसील—सदर,
   जिला—प्रयागराज (इलाहाबाद)।
   आधार नं0—2273 6208 0334
   मो0नं0—9450615519

ऊषा सिंह

मसविदाकर्ता:— प्रदीप श्रीवास्तव, एडवोकेट

Satyavrati Singh Adv.

SB Singh

Ajay Singh

PRINCIPAL
Kesh Narayan Singh Vidhya Mandir
Add: 281, Behmarpur Budhapur, 0,
Sultanpur Tehsil Lambhua